



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2024—ज्येष्ठ 17, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2024

क्र. 238/पी-2025513/24-लोसेप्र-इक्सठ-1-पी.एस.जी.-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1 दिनांक 27 जून 2015 की सेवा क्रमांक 1.9, 1.12 एवं पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1 दिनांक 10 अक्टूबर 2017 की सेवा क्रमांक 1.20 एवं अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012-लोसेप्र-इक्सठ-1-पी.एस.जी.-01 दिनांक 2 दिसम्बर 2020 की सेवा क्रमांक 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवा का नाम	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.9	उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति-पत्र प्रदान करना (अ) (33 के.व्ही. तक)	33 के.व्ही. तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री	07 कार्य दिवस	क्षेत्रीय मुख्य अधियंता	15 कार्य दिवस	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.12	सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना। (अ) निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में।	महाप्रबंधक/अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक, वितरण कंपनी।	15 कार्य दिवस	मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय प्रबंध संचालक, वितरण कंपनी।	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, वितरण कंपनी।
1.20	33 के.व्ही. से अधिक वॉल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात)	मुख्य अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 कार्य दिवस	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग	15 कार्य दिवस	विभागीय सचिव म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग
1.21	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फोस के भुगतान के पश्चात)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
1.22	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फोस के भुगतान के पश्चात)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.23	500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
1.24	500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
1.25	500 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
1.26	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएँ :-

- सेवा क्रमांक 1.9 उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का मान्य पत्र प्रदान करना (अ) (33 के. व्ही. तक)
- सेवा क्रमांक 1.12 सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना. (अ) निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में.
- सेवा क्रमांक 1.20 33 के.व्ही. से अधिक वॉल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात्).

सेवा क्रमांक 1.21	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.22	100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.23	500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.24	5000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.25	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.26	5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा (2) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

क्र. 236/पी-2055178/24-लोसेpr-इक्सठ-01-पी.एस.जी.-14.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. 602-P-794244-2022-लोसेpr-दिनांक 22 अगस्त 2022 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 14.04 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-	द्वितीय अपील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.04	घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास.	60 कार्य दिवस	संभागीय आयुक्त	30 कार्य दिवस	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास

क्र. 235/पी-1964470/24-इक्सठ-लोसेpr--पी.एस.जी.-27.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल द्वारा हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील ग्राहिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	तत्काल पंजीयन का नवीनीकरण.	रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन	03 कार्य दिवस	संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग	10 कार्य दिवस	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्र. 234/पी-1964490-24-इक्सठ--लोसे प्र--पी.एस.जी.-27.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-लो.से.प्र. दिनांक 24 जनवरी 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 27.1, 27.2 एवं 27.3 संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील ग्राहिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील ग्राहिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.1	पैरामेडिकल प्रेक्टिशनर का पंजीयन.	रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन	30 कार्य दिवस	संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग	30 कार्य दिवस	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग
27.2	तत्काल पंजीयन	रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन	सर्टिफिकेट (परिषद् द्वारा जारी मार्कशीट हेतु) 03 कार्य दिवस सर्टिफिकेट (परिषद् के गठन के पूर्व/अन्य राज्यों से उत्तीर्ण)	संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग 07 कार्य दिवस	10 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.3 पंजीयन का नवीनीकरण	रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉर्डिनेशन	30 कार्य दिवस	संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग	30 कार्य दिवस	आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग	

क्र. 233/पी-1968797-इक्सट-लोसे-पी.एस.जी.-40.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-लोसे प्र दिनांक 14 जुलाई 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 40.1 संशोधित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत जल संसाधन विभाग की सेवाएं—

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-	प्रथम अपील पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.1 प्राकृतिक/शासकीय स्रोत से औद्योगिक इकाईयों हेतु जल आवंटन.	मुख्य अधियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग	15 कार्य दिवस	सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग	15 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.